संख्या-65/2015/719/41-2015-44 यो0/13

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2187/6-1-1 (रामघाट-चित्रकूट)/15, दिनांक 19-03-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के सौन्दर्यीकरण की योजना के लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-325.99 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त रू0-61.99 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 42/1490/41-2014-44 यो0/13 दिनांक 23.09.2014 द्वारा निर्गत की गई है। प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.02.2015 द्वारा प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 56.98 लाख की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 56.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0-5 पीएनसी (80)/2013, दिनांक 04-03-2014 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना, स्थल के फोटोग्राफ सहित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
7. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

http://chitrakoot.up.nic.in

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-65/2015/719(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड प्रथम, कर्वी, चित्रकूट।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

http://sriramteshup.nic.in

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in